

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-५२ / २०२३

सी० एन०टी० एकट की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत

श्री विनेशर मिज — विक्रेता

प्रति

श्री लिलाचर मिज—क्रेता

—आदेश—

अनिलेख उपस्थिति। आवेदक /विक्रेता श्री विनेशर मिज, पिता—स्व० लखपती मिज, ग्राम—करचाली, पोस्ट—करजिया, थाना—मण्डरिया, जिला—गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री लिलाचर मिज, पिता—श्री राजपति मिज, ग्राम—जमौरी, पोस्ट—करजिया, थाना—मण्डरिया, जिला—गढ़वा को छोटानागपुर कारसकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अन्तर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, भण्डरिया से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विवित पत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विवित तामिला कराकर प्रतिवेदन की भाग की गई। अंचल अधिकारी, भण्डरिया के पत्रांक 265 / दिनांक 01.06.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के हाथ प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के स्वयं एवं अन्य के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के उर्वप्र (अनुसृत जन जाति) एवं क्रेता जाति के उर्वप्र (अनुसृत जन जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के परचाल भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित ‘भूमि आवेदक / विक्रेता के शास्त्रिय पद्धति—कानूने में है। यह भूमि भूदान, पू—हृदवटी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

आतः अंचल अधिकारी, भण्डरिया के जाँच प्रतिवेदन / अनुशंसा के आलोक में आवेदक / विक्रेता श्री विनेशर मिज, पिता—स्व० लखपती मिज, ग्राम—करचाली, पोस्ट—करजिया, थाना—मण्डरिया, जिला—गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री लिलाचर मिज, पिता—श्री राजपति मिज, ग्राम—जमौरी, पोस्ट—करजिया, थाना—मण्डरिया, जिला—गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कारसकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण—

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रक्का (एकड़ में)	चौहडी
करचाली	146	पुराना—०२ नया—५८	पुराना—५६९ नया—१०२४	0.12	उ०—सिली मिज, द०—इतियस मिज, ४०—बास, ५०—विक्रेतागण चाँ०,
		पुराना—०२ नया—५८	पुराना—५६९ नया—१०२५	0.30	
				0.42	कुल रक्का—

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर नियंत्रक, गढ़वा को भेजे।

लेखापत एवं सचिवालय।


उपर समाहर्ता,
गढ़वा


अपर समाहर्ता,
गढ़वा